अध्याय 7
सब्सिडी में स्व-चयन

7.1 गैर नकदी स्थानान्तरण की शिकायत वाले (एनसीटीसी) उपभोक्ता

गैर नकदी स्थानान्तरण की शिकायत वाले (एनसीटीसी) उपभोक्तार वे है जो पहल (डीबीटीएल) योजना से नहीं जुड़े है। इन उपभोक्ताओं के बैंक खाते और/या आधार संख्या के विवरण उनके उपभोक्ता आईडी से नहीं जुड़े हैं और उन्हें एलपीजी खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। 31 अक्टूबर तक एनसीटीसी उपभोक्ताओं की संख्या 1.72 करोड़ थी। लेखापरीक्षा सराहना करती है कि एनसीटीसी उपभोक्ताओं में फर्जी/कई एलपीजी कनेक्शन हो सकते हैं जिन्हें अच्छी तरह से समाप्त किया जा रहा है। हालांकि, पहल (डीबीटीएल) योजना कार्यान्वयन (मई 2015) के संबंध में एलपीजी उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने हेतु बीपीसीएल द्वारा संबद्ध मै. नीलसन (मार्केटिंग अनुसंधान एजेंसी) की रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार अधिक से अधिक 77 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना से जुड़ने के इच्छुक थे लेकिन जानकारी के अभाव, लंबी प्रक्रिया, धीमे प्रक्रिया स्पष्टता, प्रक्रिया में लिए गए समय आदि के कारण जुड़ने से रह गए। यह इस संभावना की ओर इशारा करती है कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं की पहुँच के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है कि योग्य उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित रह जाएं, विशेषकर यह ध्यान रखते हुए कि 28 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता हैं। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि एनसीटीसी उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट आई है जो 31 दिसम्बर 2015 तक 1.55 करोड़ तक घट गई है। हालांकि, योग्य घरेलू उपभोक्ता के हक और सब्सिडी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और प्रयास किया जाना आवश्यक है।

7.2 गिव-इट अप पहल

गिव-इट अप अभियान ऐसे समृद्ध उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के क्रम में पहल (डीबीटीएल) योजना के भाग के रूप में शुरू किया गया था जो सब्सिडी छोड़ने हेतु एलपीजी आपूर्ति के बाजार मूल्य का भुगतान कर सकते थे। इस प्रथा से ओएमसीज़ हेतु कम वसूली में महत्वपूर्ण कमी तथा सरकारी सब्सिडी के बहिर्गमन में भी कमी आएगी।

यह देखा गया कि सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या जनवरी 2015 में 0.22 लाख उपभोक्ताओं से बढ़कर मार्च 2015 में 1.67 लाख हो गई, जो फरवरी 2016 में और बढ़कर 67.27 लाख हो गई।

31 दिसम्बर 2015 तक गैर नकदी स्थानान्तरण वाले 1.55 करोड़ उपभोक्ता थे। यह संभावना कि इसमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो सब्सिडी के लिए योग्य हैं, से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।